न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

1\. अपील संख्याः 43/2021 निर्णय दिनांकः—09-05-2025
(जीसीएमएस संख्या 2021/206)

1\. सोहनलाल पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।

—अपीलांट

—बनाम—

1\. खेराजराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2\. चौथी पत्नी नत्थाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3\. सुगनाराम पुत्र नत्थाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4\. मोडाराम पुत्र नत्थाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5\. रेखाराम पुत्र नत्थाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6\. नैनी देवी पुत्री नत्थाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
7\. भीखाराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
8\. अमेदाराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
9\. अणदाराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
10\. जमना पुत्री गणेशाराम पत्नी हिम्मताराम जाति जाट हरडु निवासी छीला तहसील व जिला नागौर।
11\. सुरजा पुत्री गणेशाराम पत्नी जीवणराम जाति जाट जाखड निवासी सेवडी तहसील व जिला नागौर।
12\. भंवरी पुत्री गणेशाराम पत्नी पोकरराम जाति जाट जाखड निवासी सेवडी तहसील व जिला नागौर।
13\. पारू पुत्री गणेशाराम पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट डुडी निवासी साधुणा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
14\. पन्नी पत्नी रूपाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

15. चुतराराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
16. सांवताराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
17. बंशीलाल पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
18. ताजा पुत्री रूपाराम पत्नी जालूराम जाति जाट घंटियाला निवासी डेरवा तहसील नागौर।
19. उमा पुत्री रूपाराम पत्नी पुनाराम जाति जाट गोदारा निवासी बाडानी तहसील व जिला नागौर।
20. पीराराम पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
21. देराजराम पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
22. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरुद्व निर्णय व डिकी दिनांक 12–12–2015
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

2. अपील संख्याः 42/2021
(जीसीएमएस संख्या 2021/205)

1. सोहनलाल पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. खेराजराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. चौथी पत्नी नत्थाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
3. सुगनाराम पुत्र नत्थाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. मोडाराम पुत्र नत्थाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. रेखाराम पुत्र नत्थाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
6. नैनी देवी पुत्री नत्थाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. भीखाराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
8. अमेदाराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
9. अणदाराम पुत्र गणेशाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
10. जमना पुत्री गणेशाराम पत्नी हिम्मताराम जाति जाट हरडु निवासी छीला तहसील व जिला नागौर।
11. सुरजा पुत्री गणेशाराम पत्नी जीवणराम जाति जाट जाखड निवासी सेवडी तहसील व जिला नागौर।
12. भंवरी पुत्री गणेशाराम पत्नी पोकरराम जाति जाट जाखड निवासी सेवडी तहसील व जिला नागौर।
13. पारू पुत्री गणेशाराम पत्नी रामेश्वरलाल जाति जाट डुडी निवासी साधुणा तहसील नोखा जिला बीकानेर।
14. पन्नी पत्नी रूपाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
15. चुतराराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
16. सांवताराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
17. बंशीलाल पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
18. ताजा पुत्री रूपाराम पत्नी जालूराम जाति जाट घंटियाला निवासी डेरवा तहसील नागौर।
19. उमा पुत्री रूपाराम पत्नी पुनाराम जाति जाट गोदारा निवासी बाडानी तहसील व जिला नागौर।
20. पीराराम पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
21. देराजराम पुत्र मेघाराम जाति जाट निवासी केडली तहसील नोखा जिला बीकानेर।
22. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार नोखा।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 13–05–2016
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–

1. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. अपीलांट्स ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 12–12–2015 व 13–05–2016 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीक से विभाजन की निर्णय व डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वाके रोही केडली तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 476 तादादी 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 477 तादादी 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 478 तादादी 0.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 811 तादादी 2.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 815 तादादी 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 816 तादादी 6.70 हेक्टर, खसरा नम्बर 817 तादादी 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 818 तादादी 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 819 तादादी 1.97 हेक्टर, खसरा नम्बर 831 तादादी 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 832 तादादी 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 833 तादादी 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 834 तादादी 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 835 तादादी 2.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 841 तादादी 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 842 तादादी 5.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 843 तादादी 0.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 849 तादादी 0.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 850 तादादी 0.18 हेक्टर, खसरा नम्बर 882 तादादी 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 883 तादादी 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 884 तादादी 5.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 889 तादादी 4.15 हेक्टर कुल तादादी 30.36 हेक्टर भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 21 की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी दर्ज रिकोर्ड भूमि है। उक्त वादगत भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट्स द्वारा गलत बयान करते हुए अधिनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राप्त कर ली। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट व अपीलांट के पिता गणेशाराम, रेस्पोडेन्ट संख्या 20, 21 व रेस्पोडेन्ट संख्या 14 ता 19 के पूर्वज रूपाराम के पर ना तो कोई विधिवत तामिल करवाई गई नाही कोई नोटिस दिया गया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

यदि कोई नोटिस दिया भी गया है तो उसकी सूचना अपीलांट को कभी नहीं रही एवं ना ही उपरोक्त पक्षकरों ने कभी कोई वकील नियुक्त किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेन्ट द्वारा जालसाजी करते हुए एकतरफा तौर पर निर्णय व डिक्री पारित करवा ली।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी किये बिना ही व उक्त नोटिस तामीली की सुनिश्चितता किये बिना ही कैम्प कोर्ट में आक्षेपित निर्णय व डिक्री जारी की गई है। जबकि इस संबंध में विधि का यह सुविस्थापित सिद्वान्त है कि कैम्प कोर्ट में केवल मात्र ऐसे प्रकरणों का ही निस्तारण किया जा सकता है जहॉ पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। प्रस्तुत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व कैम्प की मंशा के विपरीत जाकर आक्षेपित आदेश पारित करते हुए अपीलांट को उनके विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है। प्रकरण में उल्लेखनीय यह भी है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी करने के एक वर्ष के उपरान्त अंतिम डिक्री जारी की गई है तथा उक्त डिक्री जारी करने से पूर्व विभाजन के प्रस्ताव जोकि संबंधित तहसीलदार से प्राप्त किये जाने होते है, का भी अभाव प्रकरण में रहा है क्योंकि विभाजन के प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये जाने परिलक्षित होता है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे कथन कर कहा कि वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन के दावा में विशेष हिस्से की मांग की है तथा उसी अनुसार प्रस्ताव तैयार करवाये जाकर अंतिम डिक्री पारित करवाई है। विभाजन प्रस्ताव में जो भूमि रेस्पोडेन्ट/वादी के हिस्से में दिखाई गई है उक्त भूमि पर अपीलांट व अपीलांट के परिवार के मकान बने हुए है। ऐसी स्थिति में विभाजन के जो प्रस्ताव तैयार किये गये है वो मौका एवं कब्जे के अनुकुल नहीं है तथा ना ही उक्त प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार किये गये है। जबकि विभाजन के मामलों में प्रस्ताव तहसीलदार की उपस्थिति में तैयार किया जाना आवश्यक है। मगर विधि के प्रावधानों के विपरीत केवल मात्र हल्का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पटवारी द्वारा प्रस्ताव तैयार किये गये है जो नियम 18 ता 21 का उल्लंघन है।

उन्होनें आगे कथन किया कि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा विभाजन की डिक्री जारी करने से पूर्व उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद मे प्रतिवादी संख्या 6 की मृत्यु दिनांक 22–12–2011 को हुई थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 6 की मृत्यु से एक दिन पूर्व ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना ही प्रतिवादी संख्या 6 के वारिसों को रिकोर्ड पर लिया जाकर उनके नोटिस भेज दिये गये जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में उक्त आशय का कहीं भी अंकन नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने जवाबदावा प्रस्तुत करते हुए दावा खारिज करने की मांग की गई तथा जहां वाद का इकबालिया जवाब प्रस्तुत नहीं हो वहां विभाजन के वाद में तनकी कायम की जाकर साक्ष्य लिये जाकर वाद का निस्तारण किया जाना था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन तमाम कार्यवाहियों की जगह सीधे ही पत्रावली बिना पक्षकारों की सहमति के लोक अदालत के समक्ष रखते हुए वाद का निस्तारण कर दिया गया। लिहाजा आदेश जैर अपील स्पष्ट रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत पारित किया गया आदेश है। यदि तत्समय अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया जाता तो उक्त तमाम स्थिति अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा जाता। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा जो प्रस्ताव तैयार किये गये है वह प्रस्ताव मौके पर कब्जे काश्त व धारण की भूमि से भिन्न है तथा मौके पर सभी सह खातेदार अलग–अलग स्थान पर बैठे है। जिसको स्पष्ट रूप से नजरअंदाज किया गया है तथा मौके की स्थिति के विपरीत जाकर उक्त प्रस्ताव तैयार किये गये है, ना ही मौके की जॉच की कोई फर्द ही बनाई गई है। जिससे साबित है कि अदालत मातहत द्वारा तमाम कार्यवाही आनन–फानन में की गई है। अदालत मातहत द्वारा विभाजन के नियमों की अवहेलना करते हुए व विभाजन के नियमों पर माईन्ड एप्लाई किये बिना रेस्पोडेन्ट्स को सीधे रूप से फायदा देने की गरज से अपीलाधीन आदेश एवं डिक्री पारित की है। जिसकी कानून में कोई मान्यता नहीं है। ऐसे एकतरफा आदेश को कानून से किसी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मियांद के संबंध में अभिभाषक अपीलांट्स ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। जिसकी जानकारी अपीलांट्स को प्राप्त नहीं हो सकी थी। अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी तब प्राप्त हुई जब रेस्पोडेन्ट्स मौक पर आये व कथन किया उक्त भूमि का विभाजन हमारे द्वारा करवा लिया गया है। तब जानकारी के दिन से बिना किसी विलम्ब के अपीलांट्स द्वारा अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो वहॉ विकल्प को माफ किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में एकतरफा तौर पर पारित आदेश में मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपीलांट् द्वारा जानकारी के दिन से अन्दर मियांद अपील प्रस्तुत करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा मियांद को कण्डोन करने हेतु जो कथन किया गया है उस पर विश्वास करते हुए अपील अन्दर मियांद शुमार करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट्स की अपील स्वीकार फरमाई जावे व प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए मौके की जॉच करते हुए व अपीलांट्स के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को ध्यान में रखते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2018–19 सप पेज 394, आरएलडब्लू पार्ट।। पेज 999, आरबीजे (4) 1997 पेज 182, आरआरटी 2022 पार्ट।। पेज 988 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने पत्रावली पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेट्स द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि वाके रोही केडली तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 476 तादादी 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 477 तादादी 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 478 तादादी 0.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 811 तादादी 2.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 815 तादादी 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 816 तादादी 6.70 हेक्टर, खसरा नम्बर 817 तादादी 0.02 हेक्टर,

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खसरा नम्बर 818 तादादी 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 819 तादादी 1.97 हेक्टर, खसरा नम्बर 831 तादादी 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 832 तादादी 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 833 तादादी 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 834 तादादी 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 835 तादादी 2.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 841 तादादी 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 842 तादादी 5.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 843 तादादी 0.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 849 तादादी 0.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 850 तादादी 0.18 हेक्टर, खसरा नम्बर 882 तादादी 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 883 तादादी 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 884 तादादी 5.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 889 तादादी 4.15 हेक्टर कुल तादादी 30.36 हेक्टर भूमि के बाबत् दावे के साथ संलग्न नजरी नक्शें व सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त के अनुसार खाता विभाजन करने की इस्तदुआ की गई। जिस पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किये जाने पर रेस्पोडेन्टस के अधिवक्ता अदालत के समक्ष उपस्थित आने पर सभी पक्षकारों के कब्जे काश्त/ हक व हिस्से की भूमि के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की गई है व संबंधित तहसीलदार को विभाजन के प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि अपीलांट्स को अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित आने हेतु नोटिस जारी किये गये थे एवं उनके अधिवक्ता के उपस्थित आने पर ही अदालत मातहत द्वारा समस्त कार्यवाही की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाट का न्यायालय के समक्ष यह कथन किया जाना कि वह अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये व अदालत मातहत द्वारा एकतरफा आदेश पारित किया गया है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने आगे बताया कि प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के अलावा शेष सभी प्रतिवादी ने वादी के बाहमी विभाजन को स्वीकार किया था ऐसे में तनकी बनाते हुए साक्ष्य लिये जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से भी खारिज योग्य है क्योंकि लोक अदालत के फैसले की अपील प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान विधि में स्थापित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशों की पालना में स्वयं तहसीलदार द्वारा विभाजन के प्रस्ताव सभी पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार करवाके भिजवाये गये है

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

एवं विभाजन प्रस्तावों पर तहसीलदार के हस्ताक्षर भी अंकित है। ऐसे में अपीलांट का यह कथन किया जाना कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम 18 ता 21 की अवहेलना की गई है, स्वीकार योग्य कथन नही है। विभाजन के मामलों में यह देखा जाता है कि पक्षकारों के मध्य विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स अर्थात अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का बंटवारों पक्षकारों के मध्य किया जावे। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत वादपत्र पर संबंधित तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त ही सभी पक्षों के कब्जे काश्त व धारण की भूमि को ध्यान में रखते हुए विभाजन की डिक्री जारी की गई है। ऐसीस्थिति में अपीलांट्स का यह कथन कि आराजी जैर का विभाजन करते समय अदालत मातहत द्वारा मौके की स्थिति की जॉच नहीं की गई है, स्वीकार योग्य कथन नहीं है। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का कब्जा किस स्थान पर है तथा अदालत मातहत द्वारा किस प्रकार उनके कब्जे के विपरीत जाकर प्रस्ताव तैयार किये गये है। केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर अपीलांट्स किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यदि अपीलांट्स के उक्त कथन को मान भी लिया जावे कि वे अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। फिर भी अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण तरीके से पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन किया गया है। प्रकरण में अपीलांट्स यह बताने में असमर्थ हुए है कि अदालत मातहत द्वारा जारी विभाजन की डिक्री से किस प्रकार की कोई क्षति हुई है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश की पालन पूर्ण हो चुकी है तथा तमाम राजस्व रिकार्ड में उक्त विभाजन का अंकन हो चुका है। केवल मात्र तकनीकी बिन्दु के आधार पर विभाजन के प्रकरण को पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांटस की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने आगे कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्व स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण अंकित किये गये है वे बेबुनियाद व मनगढ़त है जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी वर्ष 2016 से ही रही है जिसके करीब 5 वर्षों बाद अपील केवल मात्र रेस्पोडेन्ट्स को तंग परेशान करने की नियत से की गई है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में यह कथन किया जाना कि रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 23–08–2021 को अपीलांट को धमकी दी गई यह कथन भी पूर्णतया बनावटी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 की तरफ से मियांद प्रार्थना पत्र का जवाब मय शपथ पत्र पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील गुणावगुण के साथ–साथ मियाद के बिन्दु पर भी खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2016 पेज 17, आरआरडी 2019 सप पेज 592, आरआरडी 2020 पेज 187, आरबीजे 2005 एससी पार्ट।। पेज 132, आरआरडी 2009 पेज 151, आरआरटी 2011 पेज 614, आरबीजे 2002 पेज 201, आरआरटी 2011 पार्ट ।। पेज 1419, आरआरटी पार्ट ।। पेज 939, आरआरडी 1993 पेज 90 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

7. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

8. जहॉ तक मियाद का प्रश्न है, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्व अपीलें दिनांक 13–09–2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट्स द्वारा अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नही करते हुए एकतरफा तौर पर पारित किया गया है एवं अपीलांट्स द्वारा जानकारी के दिन से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई है। इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कथन है कि अपीलांट्स को विधि सम्मत तरीके से नोटिस जारी किये गये थे व उनके अधिवक्ता के उपस्थित आने पर अदालत मातहत द्वारा विभाजन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स की अपील मियाद बाहर होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विधि का भी यह सर्वमान्य सिद्वान्त रहा है कि जहॉ पक्षकारों के मध्य विवाद का निर्धारण गुणावगुण पर किया जाना हो, वहॉ मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। न्यायालय का यह भी मत है कि चूंकि पक्षकारान् ग्रामीण परिवेश के काश्तकार व्यक्ति होते है, जिन्हें न्यायालय के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्याय दृष्टांत आरबीजे (4) 1997 पेज 182 में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि **"Limitation will start from the date of knowledge. The limitation will start not from the date of order but from the date of knowledge of the order."** लिहाजा न्यायिक दृष्टांत एवं प्रकरण की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि वाके रोही केडली तहसील नोखा के खेत खसरा नम्बर 476 तादादी 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 477 तादादी 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 478 तादादी 0.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 811 तादादी 2.40 हेक्टर, खसरा नम्बर 815 तादादी 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 816 तादादी 6.70 हेक्टर, खसरा नम्बर 817 तादादी 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 818 तादादी 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 819 तादादी 1.97 हेक्टर, खसरा नम्बर 831 तादादी 0.01 हेक्टर, खसरा नम्बर 832 तादादी 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 833 तादादी 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 834 तादादी 0.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 835 तादादी 2.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 841 तादादी 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 842 तादादी 5.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 843 तादादी 0.38 हेक्टर, खसरा नम्बर 849 तादादी 0.55 हेक्टर, खसरा नम्बर 850 तादादी 0.18 हेक्टर, खसरा नम्बर 882 तादादी 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 883 तादादी 0.02 हेक्टर, खसरा नम्बर 884 तादादी 5.17 हेक्टर, खसरा नम्बर 889 तादादी 4.15 हेक्टर कुल तादादी 30.36 हेक्टर भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट्स द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विभाजन का दावा प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा विभाजन की प्राथमिक डिक्री व कालान्तर में विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गई है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को जवाब व सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना मौके व कब्जे काश्त की भूमि के विपरीत जाकर विभाजन की डिक्री पारित की गई है।

प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि क्या ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकारों की सहमति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई हो, तथा जहॉ वादग्रस्त भूमि के बाबत् विवाद का निर्धारण पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किया जाना हो, ऐसे प्रकरणों का निस्तारण राजस्व कैम्प में किया जा सकता है अथवा नहीं? इस संबंध राज्य सरकार द्वारा राजस्व कैम्प हेतु निर्धारित मानदण्डों में यह स्पष्ट अभिलिखित किया गया है कि कैम्प न्यायालय के माध्यम से केवल मात्र ऐसे प्रकरणों का ही निस्तारण किया जाना चाहिए, जहॉ पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति स्थापित हो चुकी है। प्रस्तुत प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व लोक अदालत में पारित किया गया है। आदेशिका दिनांक 12–12–2015 से इसकी पुष्टि होती है। परन्तु पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रकट होता हो कि अपीलाधीन निर्णय पक्षकारान की सहमति से पारित किया गया है। ना ही आदेशिका पर पक्षकारान के हस्ताक्षर अंकित है। इस सूरत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का निस्तारण राजस्व कैम्प में किया जाना स्पष्ट रूप से राज्य सरकार की राजस्व कैम्प की मंशा के विपरीत कारित की गई कार्यवाही परिलक्षित होती है।

इसके साथ ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में प्रक्रियात्मक व तकनीकी त्रुटियां भी पाई गई है जो निम्नानुसार हैः–

1. विभाजन के मामलों में विधि का यह सर्वमान्य प्रावधान है कि संबंधित तहसीलदार द्वारा स्वयं मौके पर पक्षकारों की उपस्थित में विभाजन के प्रस्ताव तैयार किये जावे। इस संबंध में विभाजन के नियम 18 से 21 में स्पष्ट रूप से प्रावधान निहित किये गये है। जिसमें नियम 21 के अनुसारः–

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

नियम 21 – नक्शा बनाना और उप–विभाजित खेतों का अंकन करना – तहसीलदार नक्शा बनायेगा और उसे अभिलेख पर रखेगा, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भू–खण्ड अलग अलग रंगों में दिखाया जावेगा और यदि किसी खेत को उप विभाजित किया गया है तो वह पक्षकारों के खर्चे पर उनके भाग को चिन्हित/अंकित करेगा।

पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्तावों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हल्का पटवारी द्वारा तहसीलदार को संबोधित करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये गये है। इससे यह उपधारणा की जाती है कि विभाजन प्रस्ताव पटवारी द्वारा तैयार किये गये है। जो कि आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन है। हालांकि इस प्रस्ताव पर तहसीलदार के हस्ताक्षर भी अंकित है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् प्रस्तुत नजरी नक्शें पर किसी भी पक्षकार की उपस्थिति अथवा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में बिना तहसीलदार की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किये व अपीलांट्स व अन्य पक्षकारान् की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया जाना किसी भी स्थिति में युक्तियुक्त व न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। जिसकी पुष्टि किया जाना किसी भी स्थिति में न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

2. प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02–11–2011 में पत्रावली तलबी के स्तर पर लम्बित थी। आगामी पेशी दिनांक 21–12–2011 पर आदेशिका में अंकित किया गया है कि " वकील वादी उपस्थित। वकील वादी ने दावे के नवीन शीर्षक का प्रार्थना पत्र आदि पेश किया। प्रतिवादीगण के नाम नवीन समन जारी किये जावे। पत्रावली आइन्दा दिनांक 18–01–2012 को पेश हो।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 एवं सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 21–12–2021 को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर बिना कोई निर्णय किये उसी दिन वारिसों के नाम नवीन समन जारी कर दिये। प्रार्थना पत्र के साथ प्रतिवादी संख्या 6 का मृत्यु प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिवक्ता अपीलांट के मुताबिक दिनांक 21–12–2011 को प्रतिवादी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीकानेर

संख्या 6 (अपीलांट के पिता) जीवित थे। प्रतिवादी संख्या 6 की मृत्यु दिनांक 22–12–2011 को हुई। अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन का खण्डन दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा भी नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 की मृत्यु से एक दिन पूर्व ही संशोधित वाद शीर्षक लेते हुए उनके वारिसों को नोटिस जारी किया जाना लापरवाही का द्योतक है।

9. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का निर्णय व डिक्री दिनांक 12–12–2015 एवं 13–05–2016 निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विभाजन के वाद में नियमानुसार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

10. निर्णय आज दिनांक 09-04-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर